दर और खाने के लिये दैनिक प्रभार विवरण "क" में दिये गये हैं, जो सभा-पटल पर रख दिये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रख दिये गये । देखिये संख्या** LT. 340/71 **]**

(ग) जी, नहीं ।

(घ) ऊपर 'ग' को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता ।

होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के कालेजों और अस्पतालों पर विश्वविद्यालयों का नियंत्रण

1432. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों तथा केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों में होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के कालेज तथा अस्पताल मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालयों के नियंत्रणाधीन नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारत के 47 होम्योपैथिक कालेजों में से 44 कालेजों का प्रबन्ध प्राइवेट संस्थाएं कर रही हैं और केवल तीन कालेजों का प्रबन्ध सम्बन्धित राज्य सरकारें कर रही हैं। विश्वविद्यालय के नियंत्रण में कोई होम्योपैथिक कालेज नहीं है ।

(ख) होम्योपैथी नियंत्रण परिषद् की स्थापना के लिये कानून बनाने का विचार है। यह परिषद् होम्योपैथिक शिक्षा के स्तर के साथ-साथ इस व्यवसाय के विनियमन की भी जांच करेगा ।

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का विकास एवं प्रसार

1433. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का विकास एवं प्रसार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य विषय है और यह मुख्यतः राज्य सरकारों का काम है कि वे होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के प्रचार के लिये समुचित कार्यवाही करें। चौथी योजना में होम्योपैथी सहित देशी-चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिये केन्द्रीय क्षेत्रों में 7.33 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र में 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत दो होम्योपैथिक औषधालय खोले हैं।

सरकार ने एक चार वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी स्वीकार किया है और राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे उसे अपनायें । केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के गठन के बारे में भी समुचित कानून बनाने का विचार है। इस परिषद् के माध्यम से सभी राज्यों में होम्योपैथी प्रशिक्षण का स्तर एक समान करने तथा होम्योपैथी द्वारा चिकित्सा करने वालों का विनियमन करने का विचार है ।

भारत सरकार ने हाल में ही भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी में अनुसंधान करने के लिये एक केन्द्रीय परिषद् स्थापित की है। इस परिषद् के तत्वावधान में हावड़ा में होम्योपैथी का एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान तथा दिल्ली में एक होम्योपैथिक औषध मानकीकरण एकक स्थापित किये जा चुके हैं। 1971-72 में दो अनुसंधान केन्द्र तथा 1972-73 तथा 1973-74 में एक-एक केन्द्र स्थापित करने का विचार है ।